

Dr. Seema Kumari

Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU

BA. 2, Paper - 3, Indian Government and Politics

Date - 21.01.2022.

मौलिक अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

डा० भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह संविधान की आत्मा है इस अनु० का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग - III में दिए गए सभी अधिकारों का प्रवर्तन होता है और सू अ. का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है अनु. 32 के तहत सर्वोच्च न्या. द्वारा व अनु. 225 के तहत उच्च न्या. किसी व्यक्ति के सू अ. के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी करने का संस्मन लेता है ये पांच रिट निम्न हैं: - (अध 32(2)).

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्याया. के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे न्याया. बंदीकरण के आधारों पर विचार करे और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने की आदेश जारी करता है। यह अध. 21 के तहत 'प्राण व वैदिक स्वातंत्रता के मूलभाव में निहित है' यह मौलिक अधिकारी व निम्नी व्यक्ति दोनों के लिए जारी होती है।

b) परमादेश (Mandamus)

यह रिट न्याया. के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे, जिसका वह करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने से इंकार कर दिया है।

c) प्रतिषेध (Prohibition)

यह किसी भी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्याया. को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकता है।

d) उत्प्रेषण (Certiorare)

यह किसी तरिफ न्याया. द्वारा किली अधीनस्थ-या को न्यायिक निष्काय, जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसे रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है।

→ प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर: प्रति. रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही है इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है।

e) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

अर्थ - आपका क्या प्राधिकार है? अर्थात् किस रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है रिट जारी करने के अधिकार के तहत ही शब्द प्रमुख हो जाते हैं - 1. लोकहितवाद (PIL)
2. न्यायिक सक्रियता